

8 अक्टूबर 2014

प्रिय सभी सहभागीयों,

कृपया ध्यान दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दिनांक 29 अप्रैल 2014 को आईवरी कोस्ट के बारे में प्रस्ताव नंबर 2153 (2014) जारी किया है। किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन योजना (केपीसीएस) लागू करने और इस क्षेत्र के बेहतर शासन की ओर प्रगति के अनुच्छेद 13 में, प्रस्ताव के अंगीकरण की तारीख से, किसी भी राज्य के द्वारा आईवरी कोस्ट से प्रस्ताव 1643(2005) के अनुच्छेद 6 द्वारा लगाए गए अपरिष्कृत हीरों के आयात को रोकने के उपाय समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

आईवरी कोस्ट के अपरिष्कृत हीरों के केपी सहभागीयों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध UNSC के प्रस्ताव 1643 (2005) और इसके बाद के संकल्पों पर आधारित था, तदनुसार प्रतिबंध UNSC के प्रस्ताव के अनुसार उठाया जाएगा।

इसलिए, प्रस्ताव संख्या 2153 (2014) के आलोक में, आईवरी कोस्ट से आवेदन पर, भेंट रिपोर्ट की समीक्षा दिनांक 4 अक्टूबर 2013 के आधार पर, चेयर की हैसियत से, मैं इसके द्वारा अनुरोध करता हूँ :

1. केपी वेबसाइट पर आईवरी कोस्ट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी पर प्रासंगिक विवरण अद्यतन करने के लिए प्रशासनिक सहायता तंत्र;
2. आईवरी कोस्ट केपी प्राधिकरण को आमंत्रित एवं डब्ल्यू.जी.एम. को अपरिष्कृत हीरों के कानूनी निर्यात तदनुसार फिर से शुरू करने के नौ महीने बाद एक समीक्षा यात्रा की व्यवस्था करने के लिए;
3. सभी सहभागी आईवरी कोस्ट के साथ अपरिष्कृत हीरों के व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए कार्रवाई करें। आईवरी कोस्ट से पत्र और एस.सी. के प्रस्ताव संख्या 2153(2014) संलग्न हैं।

डब्ल्यूईआई चुआन्जोंग
केपी चेयर 2014